न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

मु0न0 30/24 उनवान कोशल्या बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.05.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित अप्रार्थी से दिनांक 25.04.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली की गई है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 688/266 रकबा 0.0379 हैक्ट. भूमि ग्राम श्योनन्दा की झूंपडिया लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। मुताबिक रिकार्ड उक्त भूमि का पूर्व में भू प्रबन्धन विभाग द्वारा सीमा ज्ञान किया जा चुका है । प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट की शर्तो के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा जमाबन्दी नक्शा ट्रेस रिपोर्ट मोका पर्चा व तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार रिपोर्ट का सुक्ष्मता से अवलोकन किया गया व प्रार्थी को मौखिक सुना गया। मेरे विनम्र मत में प्रकरण में सीमाज्ञान की शर्त के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि राजस्व टीम का गठन कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 688/266 रकबा 0.0379 हैक्ट. भूमि ग्राम श्योनन्दा की झूंपडिया लालसोट जिला दौसा का रिपोर्ट की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर जरिये पुलिस इम्दाद पत्थरगढी कायम करवायी जावे एवं नियमानुसार देय राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज०	

Scanned with CamScanner